COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरणक्रमांक /2019 जिला–शाजापुर

विविध – 07/7/2019/शाजापुर/भू०रा०
धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
12/6/19
25/6/2019

लक्ष्मीनारायण पुत्र मुंशीलाल पंवार ग्राम–बुढलाय तहसीलः–गुलानी जिला–शाजापुर (म.प्र.)
...... प्रार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शाजापुर
...... प्रतिप्रार्थी

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांकशाजापुर/भू.रा./2018/5663 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 18.04.2019 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में भूमि सर्वेक्रमांक 1896 रकवा 0.24 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है जबकि वास्तविक में भूमि का सर्वेक्रमांक 1896 है। यह त्रुटि माननीय न्यायालय के आदेश के पेज क्रमांक 2 की प्रथम कंडिका में उल्लेख किया गया है। जिसमें भूमि सर्वेक्रमांक 1896 के स्थान पर 1986 लिखा गया है। जो कि एक टंकण त्रुटि है जो सुधार किये जाने योग्य है। क्योंकि आदेश के अन्य पेजक्रमांक1 में भूमि का सर्वेक्रमांक 1896 ही लिखा है जबकि पेजक्रमांक 2 एवं3 में 1986 का उल्लेख किया गया है। जो त्रुटि पूर्ण है और संशोधन योग्य है।
3. यहकि, आवेदन सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.04.2019 के पेज क्रमांक 2 एवं 3 में भूमि सर्वे क्रमांक 1986 के स्थान पर भूमि सर्वेक्रमांक 1896 का उल्लेख किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

(8) Dchaturdi 12/06/19

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 12.06.2019

निवेदक

लक्ष्मीनारायण पुत्र मुंशीलाल पंवार ग्राम–बुढलाय
तहसीलः–गुलानी जिला–शाजापुर (म.प्र.)

...... प्रार्थी

द्वारा अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(34)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-0717/2019/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. दिवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभयपक्षों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी-5663/2018/शाजापुर/भू.रा. में दिनांक 18.04.2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में टंकण की त्रुटि से पेज नं. 2 की पहली लाइन एवं पेज नं. 3 की चौथी लाइन में सर्वे क्र. 1986 टाइप हो गया है, जबकि सर्वे क्र. 1896 होना चाहिए, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है। अत: न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी-5663/2018/शाजापुर/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 18.04.2019 में पेज नं. 2 की पहली लाइन एवं पेज नं. 3 की चौथी लाइन में सर्वे क्र. 1986 के स्थान पर सर्वे क्र. 1896 पढ़ा जाए। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	